

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 165-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020 (KARTIKA 13, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th November, 2020

No. 36-HLA of 2020/87/16825.— The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 36-HLA of 2020

THE HARYANA MUNICIPAL (SECOND AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2020.

Short title.

of 1973.

Amendment of section 15 of

Haryana Act 24

- 2. In sub-section (1) of section 15 of the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act),—
 - (i) in the existing proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
 - (ii) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:-
 - "Provided further that the provisions of this section shall not apply in the case of vacancy occurred in the office of the President by no-confidence motion.".
- **3.** After the heading "President and Vice-President" occurring below Section 17 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

"17A. Motion of no-confidence against President elected directly.—(1) A motion of no-confidence against the President who has been elected directly in terms of sub-section (2) of section 9 shall be in writing and signed by not less than one-half of the total number of elected members along with a copy of the motion, which shall be delivered by any two of the members signing the notice to the concerned Deputy Commissioner:

Provided that for the purposes of calculating the number of the elected members, the President shall be considered as an elected member.

Insertion of sections 17A and 17B in Haryana Act 24 of 1973.

(2) The Deputy Commissioner or such other officer not below the rank of Extra Assistant Commissioner, as authorised by the Deputy Commissioner, shall then convene a meeting of the elected members for the consideration of the motion to be held on the date and time appointed by him, by giving a clear notice in writing of not less than fourteen days:

Provided that members nominated under sub-section (3) of section 9 shall not be entitled to be present or vote in the meeting.

- As soon as the meeting convened under sub-section (2) has commenced, the Deputy Commissioner or such other officer, not below the rank of Extra Assistant Commissioner, as authorised by the Deputy Commissioner, shall read to the elected members, the motion for the consideration and declare it to be open for discussion and he shall not speak on the merits of the motion or vote thereon.
- The motion shall be carried only when it has been passed by a majority of three-fourth of the total number of elected members and if such a motion is passed, the President shall be deemed to have vacated his office.
- A copy of the minutes of the meeting along with a copy of the motion and the result of the voting thereon shall be forwarded forthwith by the Deputy Commissioner to the State Government. The State Government on receipt of the same, if no-confidence motion is passed, shall forward it to the State Election Commission for de-notification and to conduct fresh elections for the post of the President.
- In case motion is not passed, as referred to in sub-section (4) or if the meeting could not be held for want of quorum, no notice of any subsequent motion of noconfidence against the same President shall be entertained, unless a period of six months from the date of such voting or the date of such meeting, as the case may be, has expired.
- If no-confidence motion is passed against the President, the Vice-President shall exercise the powers and discharge the functions of the President till the President enters his office.
- 17B. Discharge of functions of President and Vice-President in case of vacancy.— (1) When the office of the President is vacant by reason of illness, death, resignation or otherwise, the Vice-President shall act as the President until the President enters his office.
- If due to any exigency, the President or Vice-President is unable to exercise the powers and discharge the functions of the President, the Sub-Divisional Officer (Civil) of the area in which the municipality is situated or any other officer, not below the rank of an Extra Assistant Commissioner, authorised by the Deputy Commissioner shall exercise the powers and discharge the functions of the President till the President or Vice-President enters the office.".

Amendment of 4. Sub-section (4) of section 21 of the principal Act shall be omitted.

section 21 of Haryana Act 24 of 1973.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

- 1. Vide Notification No. leg.34/2019 dated 04.09.2019 issued by Law and Legislative Department, the provisions of direct election of President by the eligible voters in the Municipal Council/Committee were made in the relevant Sections of the Haryana Municipal Act, 1973. Further, Haryana Municipal Election Rules, 1978 are also in the process of amendment.
- 2. Earlier, before making the provisions of direct elections of President by the eligible voters in Municipal Council/Committee, by amending the relevant sections of the Haryana Municipal Act, 1973, the word 'President' has been omitted as previously President was elected from amongst the elected members of the Municipal Council/Committee. In this context, from Section 21 of the Act, where the provision of no confidence motion against President and Vice President was available, the word 'President' has been omitted, due to which presently there is no provision under the Act to remove the President by way of no confidence motion.
- 3. It has been realized that the provision of no confidence motion should be available under the Act as was available earlier, so that if the concerned President of Municipal Council/Committee does not work in the public interest and loose the confidence of three-fourth elected members of the concerned Municipal Council/Committee, no confidence motion can be carried out against the President. Therefore, a new Section 17A and 17B are required to be inserted after the heading "PRESIDENT AND VICE PRESIDENT". In the Haryana Municipal Act, 1973 for making the provision to carry out the motion of No Confidence against the President who has been elected directly by the eligible voters. Further, sub-section (4) of Section-21 of the principle Act is to be omitted.

| | Urban | ANIL VIJ, Urban Local Bodies Minister, Haryana | |
|--|-------|---|--|
| | | | |
| Chandigarh: The 4th November, 2020. | | R. K. NANDAL, Secretary. | |

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 36 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

।. यह अधिनियम हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है ।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 15 का संशोधन।

- 2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 की उप–धारा (1) में,–
 - (i) विद्यमान परन्तुक में, अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोडा जाएगा, अर्थातु:-

"परन्तु यह और कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में पद में हुई रिक्ति की दशा में, इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे ।"।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 17 क तथा 17 ख का रखा जाना। 3. मूल अधिनियम की धारा 17 के नीचे आने वाले ''अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष शीर्ष के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएगी, अर्थात:—

"17क. प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव.—(1) अध्यक्ष, जिसे धारा 9 की उप—धारा (2) के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है, के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिखित में होगा तथा प्रस्ताव की प्रति सिहत निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, जिसे सम्बद्ध उपायुक्त को नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं दो सदस्यों द्वारा सौपा जाएगाः

परन्तु निर्वाचित सदस्यों की संख्या की गणना के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष को एक निर्वाचित सदस्य के रूप में समझा जाएगा ।

(2) उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, कम से कम चौदह दिन का लिखित में स्पष्ट नोटिस देते हुए, उस द्वारा नियत की गई तिथि तथा समय पर होने वाले प्रस्ताव के विचारण के लिए निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाएगाः

परन्तु धारा 9 की उप–धारा (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य बैठक में उपस्थित होने या मत देने के लिए हकदार नहीं होगा ।

- (3) उप—धारा (2) के अधीन ज्यों ही बुलाई गई बैठक आरम्भ होती है, तो उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, प्रस्ताव निर्वाचित सदस्यों के लिए पढ़ेगा और विचार—विमर्श के लिए इसके आरम्भ किए जाने की घोषणा करेगा और वह प्रस्ताव की मैरिट पर या उस पर मतदान के लिए बातचीत नहीं करेगा ।
- (4) प्रस्ताव केवल तभी प्रभावी होगा यदि यह निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के तीन चौथाई के बहुमत द्वारा पारित किया गया है और यदि ऐसा प्रस्ताव परित किया जाता है तो अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ समझा जाएगा।
- (5) प्रस्ताव की प्रति के साथ—साथ बैठक के कार्यवृत्तों की प्रति तथा उस पर मतदान का परिणाम राज्य सरकार को उपायुक्त द्वारा तुरंत भेजा जाएगा। राज्य सरकार, उसकी प्राप्ति, पर यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसे रद्द करने के लिए तथा अध्यक्ष के पद के लिए नए सिरे से निर्वाचन करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी।

- (6) यदि प्रस्ताव उप—धारा (4) में विनिर्दिष्ट के अनुसार पारित नहीं किया जाता है या यदि बैठक गणपूर्ति के अभाव में नहीं की जा सकी तो उसी अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव का कोई पश्चात्वर्ती प्रस्ताव तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे मतदान की तिथि या ऐसी बैठक की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से छह मास की अविध समाप्त नहीं हो गई हो ।
- (7) यदि अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक नया अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता ।

"17ख. रिक्ति की दशा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन.—(1) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बीमारी, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाता है, तो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता ।

- (2) यदि किसी अत्यावश्यकता के कारण अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ हो जाता है, तो क्षेत्र का उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), जिसमें नगरपालिका स्थित है या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जो किसी अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी का नीचे का न हो, तब तक अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता।"।
- 4. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (4) का लोप कर दिया जाएगा।"।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 21 का संशोधन ।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

- 1. विधि एंव विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या लैज. 34 / 2019, दिनांक 04.09.2019 द्वारा हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की सम्बन्धित धाराओं में नगर परिषद / नगर पालिका में प्रधान के पद का चुनाव सीधे तौर पर योग्य मतदाताओं द्वारा करने का प्रावधान किया गया था। तदानुसार हरियाणा नगर पालिका निर्वाचन नियमावली, 1978 भी संशोधन करने की प्रक्रिया में हैं।
- 2. इससे पूर्व, हिरयाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की सम्बन्धित धाराओं में प्रधान का चुनाव नगर परिषद / नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा करने का प्रावधान था तथा सीधे तौर पर प्रधान का चुनाव करवाने के उद्देश्य से अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं में संशोधन करते समय 'प्रधान' शब्द का लोप किया गया था। इस संदर्भ में, अधिनियम की धारा 21 जहाँ पर प्रधान तथा उप—प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाये जाने का प्रावधान था, में से 'प्रधान' शब्द का भी लोप किया गया, जिसके कारण वर्तमान में प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाये जाने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।'
- 3. यह महसूस किया गया है कि, पूर्व की भांति अधिनियम में सीधे तौर पर योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रधान के विरूद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान होना चाहिये, तािक प्रधान यदि जनहित में कार्य न करे और सम्बन्धित नगर परिषद् / नगर पािलका के तीन—चौथाई निर्वाचित सदस्यों का विश्वास ना रख सके, तो प्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। इसिलये हरियाणा नगर पािलका अधिनियम, 1973 में सीधे तौर पर योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान करने हेतु "प्रधान तथा उप प्रधान" शीर्षक के पश्चात नई धारा 17क तथा 17 ख को जोड़ा जाना है। इसी क्रम में अधिनियम की धारा 21 की उप—धारा (4) का लोप किया जाना है।

अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक ४ नवम्बर, 2020. आर० के० नांदल, सचिव।

8960—H.V.S.—H.G.P. Pkl.